अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सुनील कुमार बनाम भगवतीलाल शर्मा

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024 / 257(मौजमाबाद)

प्रि/105
25/10/24

श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत एडवोकेट

25.10.2024

सुनिल कुमार बनाम भगवतीलाल शर्मा (2024 / 257)

यह अपील श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 113 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील घाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई, अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि प्रश्नगत आदेश जिस ईकरारनामें पर आधारित किया गया है तथाकथित इकरारनामा ने तो पूर्ण मुद्रांकित है न ही पंजीकृत है इसलिए इस प्रकार के ईकरारनामें के आधार पर जो प्रश्नगत आदेश जारी किया गया है वह खारिज योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी जो आराजीयात के खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है जिसके कारण अपीलार्थी अपनी आराजीयात का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है, न हीं खातेदार काश्तकार को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे है जिससे अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा में संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 09.09.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाई जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2007 आर0बी0जे0 पेज संख्या 519, 2019 आर0बी0जे0 पेज 748, 2018 आर0आर0टी0 (1) पेज संख्या 780, 2019 आर0आर0टी0(2) पेज संख्या 1100, 2020 आर0बी0जे0 पेज संख्या 517, 2009 आर0बी0जे0 444, 2012 आर0बी0जे0 पेज 69, 2019 आर0बी0जे0 पेज 10 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि एक अन्तरिम आदेश है अन्तिम आदेश नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जो 09.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय सुना जाकर अंतरिम स्थगन आदेश पेशी दिनांक 10.10.2024 नियत की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 22.10.2024 नियत की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब हेतु समय चाहा तथा पेशी दिनांक 24.10.2024 नियत की गई। दिनांक 24.10.2024 को प्रकरण में माननीय मण्डल मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना का अंकन करते हुए पैरवाईज टिप्पणी भिजवाये जाने के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अ

सुनील कुमार बनाम भगवतीलाल शर्मा

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/257(मौजमाबाद)

दिया जाकर आगामी पेशी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल में मुंतकिली प्रार्थना का निस्तारण किये जाने के पश्चात वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner